कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद
निर्यात विकास प्राधिकरण
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

फाइल सं.: CRL-2020-21-000031

परामर्शिका

विषय: फिलीपींस को चावल के निर्यात हेतु परामर्श के संबंध में।

यह फिलीपींस द्वारा चावल के आयात पर निलंबन के विस्तार और तद्नुसार, फिलीपींस को पॉलिश किए गए गैर-बासमती चावल के निर्यात के लिए आरसीएसी जारी करने के अस्थायी निलंबन के संबंध में दिनांक 21.11.2025 की एपीडा परामर्श संख्या CRL-2020-21-000031 के संदर्भ में है (प्रति संलग्न है)।

उक्त परामर्श जारी होने के बाद, फिलीपींस सरकार के कृषि विभाग द्वारा चावल के आयात के संबंध में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, यह कहा गया है कि:

क. ब्यूरो ऑफ प्लांट इंडस्ट्री लगभग 5,00,000 मीट्रिक टन चावल को कवर करते हुए, जिसमें सरकारी एजेंसियों के लिए आरक्षित 50,000 मीट्रिक टन भी शामिल है, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी इंपोर्ट क्लियरेंस (एसपीआईसीएस) के आवेदनों पर कार्रवाई शुरू करेगा।

ख. सभी खेप (शिपमेंट्स) का मध्य फरवरी तक पहुँचना अनिवार्य होगा, ताकि ग्रीष्मकालीन कटाई की शुरुआत में आयातित चावल का स्थानीय धान (पलाय) की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

ग. आयात पुनः प्रारंभ होने पर, शुल्क (टैरिफ) 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

घ. जनवरी-फरवरी की अवधि (विंडो) के दौरान चावल का आयात देश भर में 17 बंदरगाहों तक सीमित रहेगा: मनीला, बटांगस, टैक्लोबन, बाकोलोड, इलिगन, कैगायन डी ओरो, दा जाओ, ज़ाम्बोआंगा, सेबू, इलोइलो, कैपिज़, टैगबिलारन, डुमागुएट, सबिक, कैलबायोग, जनरल सैंटोस, और टाबाको।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, एपीडा फिलीपींस को पॉलिश किए गए गैर-बासमती चावल के निर्यात हेतु आरसीएसी जारी करना तत्काल प्रभाव से पुनः प्रारंभ करेगा। इसके अतिरिक्त, यह भी संभव है कि फिलीपींस सरकार उपर्युक्त उपायों के संबंध में समयानुसार आवश्यक अधिसूचनाएँ जारी करे।

तथापि, हितधारकों से यह भी अनुरोध है कि वे चावल से संबंधित नीतिगत शर्तों में किसी भी बदलाव के लिए फिलीपींस में नवीनतम घटनाक्रमों पर नज़र रखें। किसी भी संदेह की स्थिति में, शिपमेंट पर निर्णय लेने से पहले, अत्यधिक सावधानी के तौर पर, ईओआई (मनीला)/एपीडा से परामर्श करने की सलाह दी जाती है।

विनीता सुधांशु

महाप्रबंधक

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 12.01.2026

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद
निर्यात विकास प्राधिकरण
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

फाइल सं.: CRL-2020-21-000031

परामर्शिका

विषय: फिलीपींस द्वारा चावल के आयात पर निलंबन की अवधि बढ़ाए जाने के संबंध में।

फिलीपींस ने 01 सितंबर 2025 से अच्छी तरह पॉलिश किए गए और सामान्य पॉलिश किए गए चावल के आयात पर 60-दिन का निलंबन लगाया था, जिसका समापन 01 नवंबर 2025 को होना था। **बासमती तथा सुगंधित चावल जैसी अन्य किस्मों को इस आयात निलंबन के दायरे से बाहर रखा गया था।**

2. ईओआई मनीला द्वारा अवगत कराया गया है कि फिलीपींस सरकार ने उपर्युक्त चावल आयात पर लगाए गए प्रतिबंध को अब इस वर्ष के अंत तक (31 दिसंबर 2025) के लिए बढ़ा दिया है।

3. उपर्युक्त परिस्थितियों के मद्देनज़र, एपीडा फिलहाल फिलीपींस को पॉलिश किए गए गैर-बासमती चावल के निर्यात हेतु आरसीएसी जारी करना निलंबित रखेगा, जब तक कि फिलीपींस सरकार द्वारा उक्त आयात प्रतिबंध वापस नहीं लिया जाता।

विनीता सुधांशु
महाप्रबंधक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 21.11.2025